दिनांक 27.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 400/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 27.07.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई** द्वारा अभय प्रताप सिंह निवासी नई बस्ती चौड़ाखरे थाना खागा जनपद फतेहपुर से इण्टर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण के नेशनल हाइवे से प्राप्त धनराशि से कराये गये निर्माण कार्य के आडिट किये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक अंजली यादव के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने समर चाप भण्डार के पास से **रवीन्द्र प्रताप सिंह (वरिष्ठ लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग फतेहपुर)** पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी राना नगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 27.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 401/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मेरठ/थाना हस्तिनापुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 27.07.2026 को थाना हस्तिनापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हस्तिनापुर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विकास उर्फ बुद्धप्रकाश 2–अंकित घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–राजू सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि, चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.07.2026 को थाना हस्तिनापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हस्तिनापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विकास उर्फ बुद्धप्रकाश के विरूद्ध जनपद हापुड़, हाथरस, कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 29

अभियोग, अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग एवं अभियुक्त राजू के विरूद्ध जनपद मेरठ, हापुड़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हस्तिनापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास उर्फ बुद्धप्रकाश निवासी कविनगर थाना सदर देहात जनपद हापुड़।

2–अंकित निवासी लिसाड़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

3–राजू निवासी लिसाड़ी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी के 06 लाख 40 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के पीली धातु के आभूषण आदि।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 मोटर साइकिल आदि।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना हनुमंत विहार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **16 हजार 740 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 27.07.2026 को थाना हनमंत विहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–पवन उर्फ रवि 2–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 16 हजार 740 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हनुमंत विहार क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हनुमंत विहार पर अभियोग पंजीकृत कर

घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पवन उर्फ रवि के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हनुमंत विहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पवन उर्फ रवि निवासी जे0के0 मंदिर के पास कच्ची मडैया लोहारन भट्टा थाना नजीराबाद, कानपुर नगर।

2–राहुल निवासी नयापुरवा थाना बाबूपुरवा, कानपुर नगर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–16 हजार 740 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद सम्भल/थाना हयातनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 27.07.2026 को थाना हयातनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–कासिम उर्फ भिंडी 2–अमान 3–असद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कासिम उर्फ भिंडी के विरूद्ध जनपद सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त अमान के विरूद्ध जनपद सम्भल के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हयातनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कासिम उर्फ भिंडी निवासी मोहल्ला चमन सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

2—अमान निवासी मोहल्ला मिया सराय थाना रायसत्ती जनपद सम्भल।

3—असद निवासी मोहल्ला कोट गर्वी थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 08 दो पहिया वाहन।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/324/394 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास व 02 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(1) भादवि व 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कोमल को आजीवन सश्रम कारावास व 18—18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना संडीला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना संडीला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामखेलावन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————